

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 19.09.2022

थाना बण्डा पुलिस को मिली बडी कामयाबी

अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे लगभग 05 करोड रूपये कीमत की पांच किलोग्राम (फाइन क्वालिटी) की अफीम सहित चार अंतर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. कमल हसन पुत्र नत्थू अहमद निवासी ग्राम नगरिया विक्रम थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।
2. मीरहसन पुत्र नत्थू अहमद निवासी ग्राम नगरिया विक्रम थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।
3. शब्बू पुत्र मोहम्मद अथर निवासी मो0 जगतपुरा गोटिया थाना बरादरी बरेली हाल निवासी मो0क्यूना कस्बा देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली ।
4. हरद्वारी पुत्र जमनादीन निवासी ग्राम नगरिया विक्रम थाना फरीदपुर जनपद बरेली ।

बरामदगी का विवरण-

1- 05 किलो फाइन क्वालिटी की अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 05 करोड रूपये ।)

गिरफ्तारी का समय व घटनास्थल-

दिनांक 19.09.22 की सुबह, सुनासीर नाथ मन्दिर गोशाला के पास, थानाक्षेत्र बण्डा ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र , मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियो , वाछित एवं वारंटी, अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य मे प्रचलित अभियान के क्रम मे श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण मे थाना बण्डा पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई ।

आज दिनांक 19.09.22 की प्रात थाना बण्डा को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि बरेली जनपद के चार व्यक्ति सुनासीर नाथ मन्दिर गोशाला के पास भारी मात्रा में अफीम लिये खडे है जो सुनासीर नाथ गुरुद्वारा मेला में बिक्री की तैयारी में है यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बण्डा श्री मनोज कुमार के नेतृत्व मे थाना बण्डा पुलिस द्वारा मुखबिर की निशादेही पर उक्त गौशाला के पास से अभियुक्तगण 1. कमल हसन को 02 किलो अफीम 2. मीरहसन को 01 किलो अफीम , 3. शब्बू को 01 किलो अफीम , 4. हरद्वारी को 01 किलोग्राम (कुल -05 किलोग्राम) अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा 04 अभियुक्तों के कब्जे से कुल 05 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गयी जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 05 करोड रूपये है । इस सम्बन्ध मे थाना बण्डा पर सुंसगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि झारखण्ड से सस्ते दामों पर अफीम लेकर आते हैं तथा शाहजहाँपुर, बदायूँ, बरेली व आसपास के जनपदों में महंगे दामों पर बेच देते हैं। पूछताछ के दौरान कुछ अहम तथ्य प्रकाश में आये हैं तथा तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1-मु0अ0स0 765/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम मीर हसन थाना बण्डा शाहजहाँपुर
- 2-मु0अ0स0 766/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम कमल हसन थाना बण्डा शाहजहाँपुर
- 3-मु0अ0स0 767/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम शब्बू थाना बण्डा शाहजहाँपुर
- 4-मु0अ0स0 768/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम हरद्वारीलाल थाना बण्डा शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0स0 823/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम मीरहसन थाना बण्डा शाहजहाँपुर
- 2-मु0अ0स0 253/2020 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम कमल हसन थाना खुदागंज शाहजहाँपुर

अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों व जनपद के अन्य थानों से उचित माध्यम से की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
2. व0उ0नि0 राजेश कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
3. का0206 अरविन्द कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
4. का0 2262 अजयपाल थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
5. का0 2278 कुलदीप थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
6. का0 2800 वैभव थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
7. का0 1924 चेतन सैनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर